न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 150/2021 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 काली देवी पत्नि कन्हैयालाल माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

——(प्रार्थीया)

बनाम

1 अखराज पिता हरमल रेबारी उम्र वयस्क निवासी माताजी का खेडा, धनोप तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

2 सत्यनारायण पिता खाना उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

3 घीसा पिता श्रवण बैरवा उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री विजय पाराशर

अप्रार्थी अधिवक्ता– श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 14.06.2023

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मालीखेडा (मगनपुरा) पटवार मण्डल मालीखेडा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 10 के आ.न. 621/30 रकबा 0.20 हैक्टयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 27.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर लिए गये है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवराज शर्मा द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 की ओर से जरिये अधिवक्ता खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त खसरे के साबिक नम्बर 30 को प्रार्थीया ने अपने पक्ष में प्रशासन गावों के संग अभियान वर्ष 2013 में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर, आवंटन करवा लिया था। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीया कभी काबिज नही रही है। शुरूवात से ही खसरा संख्या 621/30 पर अप्रार्थी संख्या 01 काबिज हो भूमि का उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है। आवंटन निरस्तिकरण के लिए अप्रार्थी द्वारा विरूद्ध प्रार्थीया के माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के यहां अन्तर्गत धारा आवंटन निरस्तिकरण नियम 14(4) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो वर्तमान में विचारणीय है। न्यायालय यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करता है तो यह विधि द्वारा प्रतिप्रादित सिद्धांतो के विरूध होगा ओर मौके पर सीमा को लेकर विवाद की स्थिति भी अधिक होगी। अतः सादर निवेदन है प्रार्थनापत्र प्रार्थीया इसी स्तर पर अस्वीकृत किया जावें। शेष रहे विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषकों ने सुनवाई पर अपने अपने अभिवचनों से उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र/जवाब प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। जिन्हे सुना जाकर उनके तर्को पर मनन/चिंतन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर खण्डन स्वरूप प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र एवं अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन/परीक्षण किया गया।

उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि समान अनवानी आराजीयात का एक परिवाद पत्र माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के यहां अन्तर्गत धारा आवंटन निरस्तिकरण नियम 14(4) के तहत वर्तमान में जैर कार्यवाही है। जिसकी ताईद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्ष्य/सबूत से होती है। यंहा यह स्पष्ठ करना भी न्यायालय उचित समझता है कि यदि इस मौजूदा प्रार्थनापत्र में न्यायालय किसी प्रकार का निर्णय पारित करता है, तो सीधे सीधे तौर पक्षकारान के हक प्रभावित होंगे। एवं इसके विपरीत प्रार्थीया की और से अप्रार्थी के अभिकथनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजी/साक्ष्य का कोई ठोस खण्डन भी रेकार्ड पर उपलब्ध नही है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित खसरे पर किसी भी प्रकार का निर्णय किया जाना विधि विरूद्ध होगा।

आदेश

अतः समान अनवानी, आराजीयात का प्रकरण माननीय अपर न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में विचारणीय होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में आगे की कार्यवाही इसी स्थगित कर, प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला, जिला भीलवाडा